निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)
(सं0 पटना 429) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
3 मार्च 2021

lE 5 u0fo0@xBu&18@2020&985/uEfoE ,o vkEfoE— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले नालन्दा जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4424 दिनांक–29.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत नालन्दा	बडगॉव–402 सुरजपुर–423 मोहनपुर–424 कुल–425 बेगमपुर–89	बड़गॉव एवं सुरजपुर (पूर्ण भाग) कुल फतेहपुर एवं ममुराबाद (नूरसराय प्रखण्ड) (आंशिक भाग)	उत्तर–मछलडीहा–90 (नूरसराय प्रखण्ड का भाग) दक्षिण–फतेहपुर–422 पूरब–ग्राम भदारी–430 एवं सब्बैत–426/1 पश्चिम–नीरपुर–399 का भाग एवं पचवारा–401 का भाग	26484

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत नालन्दा कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
vjfoUn dqekj >k]
ljdkj ds la;qDr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 429-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in